

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

संख्या वन्य. प्राणी 1/2002-297(3) पठना 15, दि 28-5-2005.

एसओ
महाप्रिडम राज्यपाल के आदेश से सरकार के अधिसूचना संख्या 382 दिनांक 22-08-1990 द्वारा मुल्तानगंज से गंगा के मध्य कहलगाँव पहाड़ी तक पथास्थित गंगा की धारा के क्षेत्र को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की सुची - 1 में अंकित गान्गेय डॉल्फिन (Plantanista gangetic) को साधारणतया सुंभ कहा जाता है के संरक्षण, सम्बर्धन एवं विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानते हुए वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आश्रय के रूप में अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत महाप्रक वन संरक्षक, बाँका वन प्रमंडल-सह-महाहत्ती की शक्ति प्रत्यायोजित पदाधिकारी द्वारा उदघोषणा जारी की गयी एवं आमजनों से घोषित क्षेत्र के लिए दावा आंशिकित किया गया। निर्धारित-60 दिनों के अंदर कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार अधिनियम की धारा 19 से 25 तक सभी कार्यवाही पूरी कर ली गयी है।

इस अधिसूचना के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व निर्गत अधिसूचना में अंकित आश्रय के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा विक्रमशिला डॉल्फिन आश्रय क्षेत्र में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के सभी प्रावधान पूर्णतया लागू होते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

भागवत प्रसाद शर्मा

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक वन्य प्राणी 1/2002-297(3) पठना 15, दि 28-5-2005.

प्रतिलिपि- अधीक्षक, गुल्जारबाग प्रेस को गजट के अनाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

यह आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रतियाँ सर्वसाधारण की जानकारी हेतु अनाधारण गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं 200 प्रतियाँ इस विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।


भागवत प्रसाद शर्मा

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधोक्त


ज्ञापक वन्य-प्राणी 1/2002-297(2)/प0व0, पटना 15, दि 28-5-2002.

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमण्डलीय आहुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


§भागवत प्रसाद/समी§
सरकार के संयुक्त तत्व ।

ज्ञापक वन्य-प्राणी 1/2002-297(2)/प0व0 पटना 15, दि 28-5-2002.

प्रतिलिपि- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


§भागवत प्रसाद/समी§
सरकार के संयुक्त तत्व ।

अधोक्त